न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 28/2018

1–ओम प्रकाश माथूर पुत्र विशनलाल माथूर जाति माथुर, 25–ई–6, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
2–दिलीप कुमार माथुर पुत्र विशनलाल माथूर जाति माथुर निवासी 18–713 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर।
3–सुषमा पत्नी कमल माथुर
4–अर्पित माथुर पुत्र कमल माथुर
5–पुजा माथुर पुत्री कमला माथुर
6–पायल माथुर पुत्री श्री कमल माथुर
जातियान् माथुर निवासीगण 21/575एच, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
7–रतन कौर माथुर पत्नी घनश्यामलाल माथुर
8–महेन्द्र माथुर पुत्र श्री घनश्यामलाल माथुर
9–श्रीमति सुषमा पत्नी स्व0 बजरंगलाल माथुर
10–हर्षिता पुत्री स्व0 श्री बजरंगलाल माथुर नबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति सुषमा जातियान माथुर निवासीगण10/461, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड,जोधपुर ।
11–अशोक माथुर पुत्र श्री घनश्याम माथुर जाति माथुर निवासी चंदन निवास, स्टेशन रोड़, लाड़नूं जिला नागौर।
12–मनोज माथुर पुत्र घनश्यामलाल माथुर जाति माथुर निवासीगण 10/171, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
13–सुशील कुमार माथुर पुत्र स्व0 बिषनलाल जाति माथुर निवासी 18/713 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपूर जरिये आम मुख्त्यार अपीलार्थी सं0 1 ता 12

.....अपीलान्ट

बनाम

.....रेस्पोडेन्ट

1–तहसीलदार डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर ।

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर) राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपील अधीन धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार डीडवाना के नामान्तकरण आदेश दिंनाक 15.02.2017 प्रकरण सं0 5/2016 को अपीलान्ट का नामान्तकरण अस्वीकार करने के संबंध में।

निर्णय

दिनांकः.17.09.21

{1} –यह अपील विरूद्ध धारा 75 एल आर एक्ट व भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डीडवाना के प्रकरण संख्या 5/2016 को अपीलान्ट का नामान्तकरण अस्वीकार करने के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 15.02.2017 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट की पैत्रिक सम्पति खेत खसरा नम्बर 896 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा जिसमें अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 है ,जो वाके सरहद डीडवाना में अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलान्ट की पैत्रिक सम्पति है। उक्त पैत्रिक भूमि में अपीलान्ट अपने अपने हक अधिकार में नामान्तकरण भरवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डीडवाना के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र पेश किया ,उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार ने दिंनाक 15.02.2017 यह आदेश पारित किया ''कि वारीसान की पुष्टि नहीं होने व सन्देहास्पद होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।'' जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर पेश की हैः–

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(1) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) – यह है योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) –यह है कि खसरा नम्बर 896 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 है। इसके संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति भी नहीं की गई इसके बावजुद भी तहसीलदार महोदय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना –पत्र खारिज किया है, जिस कारण से उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) –यह है कि अपीलान्ट अपनी विरासत का नामान्तकरण भरवाना चाहते है, उक्त भूमि पूर्ण रूप से विवाद मुक्त है, ऐसा पटवारी की रिपोर्ट में भी आया है। फिर भी प्रार्थीगण का प्रार्थना –पत्र खारिज किया गया है जिससे उक्त आदेश अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार जोधपुर के द्वारा भी विरासती प्रमाण–पत्र पेश कर दिया, परन्तु फिर भी प्रार्थीगण का नामान्तकरण दर्ज कर भारी कानूनी भूल की है, जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) – यह है कि तहसीलदार महोदय द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2017 को पारित कर दिया गया, परन्तु इसकी सूचना अपीलान्ट को कभी भी कतई नहीं दी गई । अपीलान्ट द्वारा दिंनाक 27.02.2017 को तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन के समक्ष आवेदन करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पर वारिसान की जॉच बाबत भी लिखा गया एवम् जॉच भी पूर्ण होकर आ गई, इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर भारी विधिक भूल की है, जो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(7) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन नहीं कर भरी कानूनी भूल की है, जिससे निर्णय दिंनाक 15.02.2017 अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(8) – यह है कि उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.05.2018 को नकल लेने पर हुई जिससे उक्त अपील अन्दर मयाद पेश है फिर भी अपीलान्ट देरी के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र संलग्न है।

{4}–उक्त प्रकरण 5/2016 का नामान्तकरण अस्वीकार करने के संबंध में तहसीलदार डीडवाना के नामान्तरण आदेश दिनांक 15.02. 2017 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह दिनांक 17.05.2018 को इस न्यायालय में पेश की है। अपील के साथ अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया। न्यायालय हाजा ने यह अपील दिनांक 17.05.2018 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड पत्रांक भू0अ0/896 दिनांक 15.02.2021 के द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

{5} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको आदेश की नकल दिनांक 11.05.2018 को लेने से हुई है। अतः नकल लेने से जानकारी हाने पर अपील दिनांक 17.05.2018 को न्यायालय में पेश की हैं जो अपील को अन्दर मियाद रखने हेतु निवेदन किया है। नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मियाद एक माह होती हैं तथा अपील अन्दर मियाद है। अतः अपीलार्थीगण का धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6} –अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण अस्वीकृत करते समय भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है तथा विधि के सिद्धान्तो की पालना नहीं की है। अपीलान्ट अपना विरासत का नामान्तकरण भरवाना चाहते थे, वह भूमि पूर्ण रूप से विवाद मुक्त है ऐसा पटवारी रिपोर्ट में भी आया हुआ है यह अपीलान्ट ने अपनी अपील मिमो में भी बताया है। अतः अपीलान्ट ने तहसीलदार डीडवाना का मु0सं0 5/16 निर्णय दिनांक 15.02.2017 अपास्त करने तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर उचित आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है।

{7}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट की पैतृक सम्पति खेत खसरा नम्बर 896 कुल रकबा 11बीधा 14 बिस्वा जिसमें अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 है, अपीलान्ट अपने अपने हक अधिकार में नामान्तकरण भरवाने हेंतु

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया,उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार डीडवाना ने दिनांक 15.02.2017 को यह आदेश पारित किया कि वारिसान की पुष्टि नही होने से सन्देहास्पद होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। राजस्थान भू–भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133,134 एवं 135 के प्रावधानों के तहत नामान्तरकरण की प्रक्रिया की जाकर नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में जो नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी है उसमें विरासत का नामान्तरकरण भरा जाना है। विरासत के मामलों में सम्पूर्ण जांच तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर की जानी होती है। तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णय यह अंकन करते हुए पारित किया गया है ''कि प्रार्थी द्वारा सोहन लाल की मृत्यु 20.02.1957 विशन लाल की मृत्यु 28.10.89 को, घनश्याम की मृत्यु 11.6.2010, अगरकोर माथुर की मृत्यु 6.5.2005 को कमलकुमार माथुर की मृत्यु 17.4.2006 को, बजरंग लाल माथुर की मृत्यु का प्रमाण पत्र 2.6.2000 को जारी किया हुआ है एवं उक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के लम्बे अरसे से डीडवाना क्षैत्र में निवास होने के समबन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं नगर पालिका लाडनूं के पार्षद वार्ड नम्बर 20 खलिद महमूद ने भी दिनांक 20.9.2016 में भेजे गए पत्र में लिखा है कि अशोक जी माथुर ने वारिसान एवं कुछ उतराधिकारियों के नाम छुपाएं हैं। लम्बे अरसे से डीडवाना में निवास नहीं करने एवं पार्षद की विरोधाभाषी जानकारी से सही वारिसान के बार में पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पा रही है। अतः वारिसान की पुष्टि नहीं होने एवं संदेहास्पद होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।'' अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि श्री राम सिंह पुत्र जेठूसिंह जाति रावणा राजपूत के प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार डीडवाना ने दिनांक 23.9.2016 को यह अंकन किया है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में नामान्तरकरण का प्रार्थना पत्र आया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नामान्तरकरण विवादित है अतः प्रकरण को दर्ज कर 135(2) में सुनवाई हेतु पत्रावली पर लिया जावे। इससे पूर्व सुशील कुमार माथुर ने तहसीलदार डीडवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया था कि खेत ख0नं0 896 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा ग्राम डीडवाना में 1/2 सोहन लाल पुत्र शिवचन्द पांचोली का हिस्सा है जिनका स्वर्गवास हो चुका है अतः वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरा जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत प्रकरण को दर्ज कर सुनवाई की है लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के मध्य नजर जो सम्पूर्ण कार्यवाही की जानी थी वह नहीं की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जो पत्रावली संघारित की है उसमें कोई भी अप्रार्थीगण संयोजित नही किए गए हैं तथा निर्णय भी सुशील कुमार माथुर के प्रार्थना पत्र का ही किया गया है। अतः यह प्रकरण साधारण रूप से धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ही दर्ज कर निर्णित किया गया है। यह तो निर्विवाद है कि ग्राम डीडवाना का ख0नं0 896 रकबा 11.14 बीघा में 1/2 हिस्सा सोहन लाल पुत्र शिवचन्द पांचोली के नाम दर्ज है। उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान की सही सही जांच कर नामान्तरकरण भरने का मूल कर्तव्य तहसीलदार डीडवाना का था लेकिन उन्होने सही सही जांच नहीं कर मात्र सहखातेदार रामसिंह एवं लाडनू के पार्षद को पत्र के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण भरने का प्रार्थना पत्र ही खारिज कर दिया जबकि उनको विस्तृत जांच कर समाचार पत्र आदि में सार्वजनिक सूचना साया कर विरासत का नामान्तरण भरने की कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नहीं की गयी है। पटवारी हल्का रिपोर्ट मंगाई गई, रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है एवं पटवारी की रिपोर्ट मुताबिक उक्त विवादित खसरा संख्या 896 में किसी प्रकार का विवाद नहीं बताया है। अतः तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

5/2016 दिनांक 15.02.2017 को पारित निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

:::: आदेश ::::

उक्त विवेचनानुसार प्रकरण पुनः प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विधिवत दर्ज कर सम्पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए मृतक खातेदारों के वारिसान की सम्पूर्ण विस्तृत जांचकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

(रिपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)